बिहार विधान-सभा

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 30 जुलाई 1982

विषय-सूची

	पृष्ठ
विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना	1
शून्य काल की चर्चाएं—	
(क) जेल में कैदी की हत्या	2
(ख) मृतक के परिवार को मुआवजा एवं पुल का निर्माण	2
(ग) पेयजल का संकट	2-3
(घ) पैसे का गबन	3
(ङ) हवलदार द्वारा कथित भ्रष्टाचार ..	3-4
(च) सड़क का पक्कीकरण	4
(छ) विधायक आवास में पंखे का प्रबंध ..	4-5
(ज) अभावग्रस्त प्रखंड में राहत कार्य ..	5
(झ) क्षतिग्रस्त परिवार की संरक्षण	5-6
(ञ) सड़क का पक्कीकरण	6
(ट) भूतपूर्व विधायक की गिरफ्तारी ..	6-7
(ठ) पुल का निर्माण	7

किया जायगा क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधि है और एक महीने के अन्दर उसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे ।

उपाध्यक्ष—क्या उस क्षेत्र के सभी विधायक को रख रहे हैं ?

श्री रघुनाथ झा—लौरिया चीनी मिल क्षेत्र में जो विधायक पड़ते उनको हम इस जांच समिति में रख देंगे ।

गैर-सरकारी संकल्प :

भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन

श्री राजेन्द्र सिंह—महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्तावं करती है कि वह राज्य के अन्दर भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 में बना है। इसकी धारा 46 अन्तर्गत आदिवासियों की जमीन बिना उपायुक्त के परमीशन से छीना नहीं जा सकता है। आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी ही परमीशन के बाद ले सकता है। जब आदिवासियों की जमीन बहुत छीनी जाने लगी तो सरकार ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1959 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के 71 (क), के अन्तर्गत नाजायज ढंग से छीनी जमीन को वापस कराने के लिये कानून बनाया और उसमें इस तरह का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत जमीन लुटेरे और जमीन्दार लोग इससे बचते थे । इस कानून के अन्तर्गत 30 वर्ष जमीन के वापसी का प्रावधान है। इसके पूर्व 12 वर्ष पहले जो जमीन छीनी गयी थी वह वापस नहीं की गयी । जिन लोगों ने आवेदन दिया उनकी जमीन का एकतरफा फैसला मालिक के हक में कर दिया गया। रांची हाईकोर्ट में श्री आर० वी० मिश्रा के हक में फैसला दिया । 30 साल पहले तक आदिवासियों को छीनी गयी जमीन 1969 तक 30 साल वाली जमीन वापस की जायगी किन्तु इसके पूर्व जो जमीन

नाजायज ढंग से छीनी गयी है उस जमीन के बारे में सिर्फ मुआवजा देने का प्रावधान है। इस तरह से जो जमीन की बहुत ही कम दाम दी गयी उससे बचने के लिये मकान, खेत, कुंआ आदि बना कर अधिक दाम में बिक्री करने की बात होती है और आदिवासियों का उसका कमपेन्शेन देना सम्भव नहीं है। इसी तरह संथाल-परगना काश्तकारी कानून 1950 में बना और इस कानून के अनुसार संथाल-परगना की जमीन कोई नहीं खरीद सकता है।

इसमें प्रावधान है कि 6 साल तक उनकी जमीन बंधक रखी जा सकती है। इसकी बन्दोबस्ती ग्राम प्रधान की उपस्थिति में होती है। इसके अनुसार बंधक लेने वाला आदिवासी से बटाई पर खेती कराते हैं। आधा बटाई और आधा कर्ज के नाम पर सब पैदावार महाजन को ही मिल जाता है। सारी फसल कर्ज के नाम पर महाजन के हाथ में चला जाता। छोटानागपुर में जमीन बंधक सात साल के बाद उसका उपभोग करने के बाद वह स्वतः जमीन वाले को ही जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है फिर उसे पट्टा पर चढ़ा देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के बनाने के समय अनुसूचित जन-जातियों को विशेष सुविधाएं देने के पीछे यह तर्क था कि मौलिक कारणों से अन्य समाज से अलग-थलग पड़ने के कारण जन-जातियों का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाया है। और यह जन-जातियां दुर्गम स्थानों में इस प्रकार का जीवन बिताने पर मजबूर हुई है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं का समावेश नहीं है। शिक्षा के अभाव के कारण आगे बढ़ने और अपनी आर्थिक स्थिति के उचित अवसर इन जातियों को आजादी के पहले नहीं मिली। इसलिये इन्हें आगे बढ़ने के लिये तथा समाज और उनके बीच बहुत बड़ी आर्थिक खाई को पाटने के लिये यह जरूरी है कि जन-जातियों को अतिरिक्त सुविधा दी जाय।

श्री लहटन चौधरी—भूमि सुधार में शिक्षा की बात कहां से आ गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—छोटानागपुर और संथालपरगना में बहुत-सी उपजाऊ जमीन खान के नीचे पड़ी हुई है। बिहार देश के खनिज संपदा का भंडार है। बिहार

में उत्पादित होने वाले खनिजों में 95 प्रतिशत कोयला, कच्चा लोहा और ताम्बा छोटानागपुर और संथालपरगना में ही पाया जाता है। अबरख 57 प्रतिशत, काईनाईट 47 प्रतिशत और यूरेनिम सिंहभूम में अधिक पाया जाता है। यह केन्द्र सरकार के अधीन है इसलिये बिहार में नियोजन नहीं होता है। इससे हमारे लोगों को काम की कोई गारंटी नहीं है।

उसके नियोजन को गारंटी को भी समाप्त कर दिया गया है। छोटानागपुर और संथाल परगना में कोयलकारी परियोजना बनने जा रही है उससे भी 95 हजार लोग निष्कासित हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष—आप समाप्त करें।

श्री सूरज मंडल—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र सिंह जी का जो संकल्प है वह सरकार के कर्त्तव्यों को याद दिलाने वाली संकल्प है। वैसे तो सरकार की नीति है कि भूमि-सुधार कार्यक्रमों को सख्ती से लागू किया जाय और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सरकार ने ऐसे मामले को निपटाने का कार्यक्रम अपनाया है लेकिन मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि सही माने में हिन्दुस्तान में या बिहार राज्य में जितने और जिले हैं उससे भिन्न संथाल-परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया है इसका क्या कारण हो सकता है, उसका खास मकसद था कि वहां के लोगों की जमीनों को महाजन के चंगुल से बचाया जाय। यही उद्देश्य है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी आज वहां के मूल आदिवासी की जमीन है वह सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात मैं यह मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि संथाल-परगना के राजमहल में सिर्फ 1200 एकड़ जमीन है और गैर-मजरुआ जमीन है, अगर उसको सख्ती से बांटा जाय तो बहुत सारे भूमिहीनों के बीच उसे बांटा जा सकता है लेकिन आज वह जमीन ऐसे-तैसे लोग कब्जा कर रखे हुए हैं और भूमिहीनों के बीच बांटा नहीं जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में माननीय मंत्री ने इसके सम्बन्ध में मेरे प्रश्न का जबाव दिया था। संथाल-परगना में इस तरह की जो जमीन हड़प ली गयी है उसमें यह बात थी कि अंग्रेजों के जमाने में जब देश को आजाद कराने के लिये आन्दोलन छेड़ा गया था तो उस समय सबसे पहले वहां के संथाल

लोगों ने हमारे नेताओं आह्वाहन को कबूल किया और अंग्रेजी सरकार को काम नहीं दिया। इसके कारण यहां की जमीन 500 रु० में 200 एकड़, 50 रु० में 20 एकड़ और 25 रु० में 10 एकड़ बन्दोवस्त कर दिया गया। भारत सरकार के हरिजन-आदिवासी कल्याण आयोग जो है, उसने संथाल-परगना के ऐसे लोगों की जमीन जो चली गयी है उन जमीनों को जो दस साल से ले लिया था, सर्वे सेटलमेंट में औफिसरों को मिलाकर अपने नाम पर चढ़ा लिया है। उसको आज वह कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनकी जमीन थी उनको मुआवजा दिया जाय तभी भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर जमीन बिक्री होती ही नहीं हैं लेकिन आज हजारो एकड़ जमीन टाईटिल सियुट के नाम पर जगह-जगह लोगों की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो भारत सरकार से अपील किये गये हैं, जो अनुशंसा आपने माना है, उसे तत्परता से देखें और इस कानून को लागू करायें, तभी छोटानागपुर, संथाल-परगना के हजारों-हजार गरीब आदिवासी, हरिजनों की जमीन वापस हो सकती है।

उपेन्द्र प्रसाद वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन में गैर-सरकार संकल्प

राज्य के अन्दर भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू करने के सम्बन्ध में पेश है, मैं उसका समर्थन करता हूं। भूमि सुधार कानून लागू करना एक समाजवादी कदम है और क्रांतिकारी कदम भी है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार ने इसको प्राथमिकता दिया है लेकिन असलियत कुछ और है। विज्ञापन पर भले ही खर्च किया गया हो, मंत्री महोदय विभिन्न जिलों में जाकर कागज पर जमीन का बंटवारा भले ही किया हो लेकिन असलियत में कमजोर वर्ग के लोगों को जो जमीन बांटी गयी है वह उन्हें नहीं मिली है और यह सरकार की विफलता है। सरकार को चाहिए कि इसकी जांच के लिये एक हाउस की कमिटी बनावें और वह कमिटी इस बात की जांच करे कि जिनको जमीन दी गयी है क्या वह जमीन वास्तव में उनको प्राप्त हुई है? उनका अधिकार उस जमीन पर मिला है? जब इस बात की जांच होगी तभी असलियत बात सामने आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिले में जो जमीन सरकार द्वारा ली गयी है, उसको बाद में कानून के तहत बटाईदारी के नाम पर बोगस बटाईदारों को जमीन दे दी गयी है। अंचलाधिकारी और डी० सी० एल० आर० के भ्रष्टाचार के कारण ऐसे जमीन को विद्यार्थियों को भी दे दी गयी है, जो अभी पढ़ ही रहे हैं, उनको बटाईदारी की हैसियत से जमीन आवंटित कर दी गयी है जबकि यह जमीन गरीब हरिजन, आदिवासियों और गरीब तबके के लोगों को मिलनी चाहिए थी लेकिन वहां के भ्रष्ट पदाधिकारी के चलते ऐसी जमीन गरीब, हरिजन और आदिवासियों को नहीं दी गयी है, इनका हक मारा गया है। इसकी जांच करायेंगे तो असलियत सामने आयेगी। सरकारी अधिकारीगण पावर का दुरुपयोग करते हैं, और मनमानी ढंग से काम करते हैं इसके कारण गरीबों का हक मारा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार कानून के तहत जितनी तेजी से मामलों का निबटारा होना चाहिए था, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। कोर्ट में मामला चला जाता है, कोर्ट का सहारा लेकर भूपति लोग इसको रोकते हैं लेकिन सरकार के जो वकील हैं, ए० पी० पी० हैं, वे भी भूपतियों से पैसा लेकर ऐसे केस को एक्सपेडाइट कराने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ये लोग सरकार से भी पैसा लेते हैं और भूपतियों से भी पैसा लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मुकदमा लम्बित है, यह सरकार का कर्तव्य है कि कोर्ट के द्वारा मांगे गये शो कौज जल्द-से-जल्द भेज दें ताकि इस भूमि-सुधार कानून का जो असली मकसद है, वह ठीक ढंग से लागू हो सके। अगर भ्रष्ट अधिकारियों के चलते गलत लोगों को जमीन दी गयी तो इसका जो परपस है, जो महत्व है, वह खतम हो जायगा और आपका समाजवादी कदम नहीं कहलायेगा, आपकी सरकार समाजवादी सरकार नहीं कहलायेगी।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री राम लषण राम रमण—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही क्रांतिकारी संकल्प है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि छोटानागपुर टीनेन्सी ऐक्ट में आदिवासियों की ली हुई जमीन को वापस करने का प्रावधान है लेकिन लागू नहीं हो रहा है और उसमें दूसरी गड़बड़ी है कि रांची जिले में

आदिवासी की जमीन छीनी गई है तो उसकी वापसी के लिए 30 वर्ष और हजारीबाग जिले में आदिवासी की जमीन गई है तो उसकी वापसी के लिए 12 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी चाहे रांची जिले के हों या हजारीबाग जिले के हों जहां के भी आदिवासियों की जमीन छीनी गई है उसकी वापसी के लिए एक ही अवधि यानी 30 वर्ष निर्धारित की जाय और तदनुसार सरकार इस कानून में संशोधन करें। दूसरी बात है कि विभिन्न न्यायालयों में बहुत से मुकदमों का निर्णय हो गया है जिनकी सूची कोर्ट ने डी० सी० एल० आर० हजारीबाग के पदाधिकारी को दी है लेकिन फैसला हो जाने के बावजूद चूंकि बिहार सरकार के पदाधिकारियों को आदिवासियों के लिए मोह नहीं है, उन जमीनों को संबंधित आदिवासियों को वापस नहीं दिला सके हैं। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जिन भूपतियों के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है सरकार को चाहिए कि वैसी जमीन की वह सूची बनाये और उनसे वह जमीन लेकर भूमिहीनों में वितरित कराए। इसी सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं जिनकी पैरवी ठीक से नहीं की जा रही है, ठीक समय पर हाजरी नहीं दी जाती है जिसके चलते उनके निष्पादन में विलम्ब हो रहा है, इस पर भी सरकार ध्यान दे और जमीन को निकाल कर भूमिहीनों में वितरित करावे।

श्री ब्रजकिशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प है कि सरकार भूमि

सुधार कानून को सख्ती से लागू करें, मैं समझता हूं कि बिहार सरकार तो स्वयं इसके लिए जागरूक है और तत्पर है। इसके लिए कानून बनाये गये हैं और बड़ी तेजी से इन मामलों का निष्पादन हो रहा है। जो होमस्टीड लैंड था उसके बंटवारे का सारा कार्य संपन्न हो गया और 20-सूत्री कार्यक्रम में भी जो बेदखली कराई गई है उसपर पुनः कब्जा दिलाने के लिए सरकार जागरूक है लेकिन तो भी मैं सरकार से एक निवेदन करता हूं कि जो सरकार ने कानून पास किया है कि दोबारे सारे केसेज को री-ओपन करेंगे उससे मध्यमवर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे इसलिए ऐसा न करके जो प्रावधान है कि भूमिपति संतुष्ट न हो तो वह अपील में जा सकता है उसी तरह सरकार को भी संतुष्टि नहीं होने पर अपील में जाने का अधिकार है तो उसी के तरह जहां ग्रौस

नेगलिजेन्स हुआ है, सरकार अपील में जाय लेकिन सारे मामले को री-ओपन न करें । ऐसा करने से मध्यमवर्ग के लोगों का शोषण होगा । ऐसा होने से राज्य के 82 प्रतिशत जो लोग भूमि पर ही आधारित हैं एनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, इससे उनकी काफी कठिनाई बढ़ जायगी । इस देश में जो 20 एकड़ वाले किसान हैं और जो धनीमानी उद्योगपति हैं उनमें बहुत अन्तर है । 20 एकड़ वाले किसान अपने बच्चों को पटने में पढ़ा नहीं सकते हैं, अपने बच्चे की इलाईज पटने में नहीं करा सकते हैं और दूसरी तरफ जो उद्योगपति हैं वे करोड़ से अरब की सम्पत्ति बना रहे । 20 एकड़ के जोतने वाले की अभिलाषा रही है कि उसका बेटा उद्योगपति का चपरासी बन जाय, दरवान बन जाय, किरानी बन जाय । सरकार ऐसा नक्शा बनावे कि उनके बाल-बच्चे भी पढ़ सके, उनकी इलाज हो सके । और वे सुखी हो सकें । यही मेरा सरकार से निवेदन है ।

अध्यक्षीय घोषणा :

अध्यक्ष—कल 1 बजे से 2 बजे तक लंच के लिए छुट्टी नहीं होगी, लंच ब्रेक नहीं होगा । हमने सरकार से आग्रह किया है कि सबों के खाने की व्यवस्था कराइये ।

सरकारी संकल्प।

दर्शक दीर्घा से सदन में नारा लगाये जाने के अपराध में दण्डित किया जाना ।

डा० जगन्नाथ मिश्र—यह सभा संकल्प करती है कि— :

श्री मुख्तार अहमद, पिता का नाम श्री अब्दुल मियां, घर सरौनी, थाना कौआकोल, जिला नवादा एवं श्री बसन्त चौधरी, पिता का नाम श्री रघुनन्दन चौधरी, घर फुलवारी शरीफ, न्यू रोड कुम्हार टोली, जिला पटना के रहनेवाले बतलाते हैं और जिन्होंने सामान्य दर्शक दीर्घा से आज दिनांक 23 जुलाई, 1982 को करीब 12-15 अपराह्न में, जिस समय सभा की बैठक चल रही थी, नारे